# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 18/2015 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00196

उनवान

1. रामा पुत्री स्व0 मवासी पत्नी वासदेव जाति जाटव निवासी ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. भूरी पुत्री स्व0 मवासी पत्नी चतुरी जाति जाटव निवासी ग्राम भौडिया तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

बाबूलाल पुत्र पांचिया जाति जाटव निवासी ग्राम मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 02.06.2015 उनवानी रामा बनाम बाबूलाल सिंह मु0न. 48/2014

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री विनोद भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री हरवीर सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 14.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के आदेश दिनांक 02.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाक ग्राम अलहपुरा तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार कृषक हरभान थे। उनकी विरासत उनके पुत्रगण मवासी व काशीराम ने प्राप्त की। काशीराम लाऔलाद फौत हो गया। अतः उसका वारिस मवासी हुआ एवं मवासी के वारिस उसकी वेवा देवकौर पुत्रगण तोता व श्यामा तथा पुत्रियॉ रामा व भूरी हुई। देवकौर

का भी निधन हो गया। उसकी विरासत उसके पुत्रगण तोता व श्यामा तथा पुत्रियों रामा व भूरी ने प्राप्त की। इस प्रकार अपीलाण्ट/प्रार्थीगण विवादित आराजी में 1/2 भाग की खातेदार कृषक हैं। परन्तु अपीलाण्ट/प्रार्थीगण के भाईयों ने मवासी के देहान्तोपरांत उनका नाम राजस्व अभिलेखों में नहीं आने दिया तथा अकेले अपना नाम दर्ज करा लिया। जिसका लाभ उठाकर उन्होनें विवादित आराजी का विक्रय रैस्पो0/अप्रार्थी एवं मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 13 को कर दिया। उक्त विक्रय अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की हद तक शून्य तथा निष्प्रभावी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है, जो कि काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय महज वर्तमान इन्द्राजात को ही महत्व दिया है। जबकि अपीलाण्ट के अभिवचन, शपथ पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खंडन रैस्पो0 द्वारा नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण रैस्पो0 के जवाब हेतु नियत था परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत रूप से अपीलाण्ट की बैक पर एवं अपीलाण्ट के अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज करते हुए, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश NON SPEAKING आदेश है। क्योंकि अपीलाधीन आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण नहीं बताये हैं तथा ना ही प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है एवं पक्षकारों की उपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी अपीलाण्ट के भाईयों से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है एवं मौके पर काबिज हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है मूल वाद के सभी पक्षकारों को हस्तगत प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण भी काबिल खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2015(1) पेज 726 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट/प्रार्थी की पैतृक थी। उनके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता मवासी की मृत्यु बाद, उनके अधिकार सृजित होना कहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल छायाप्रति नामान्तकरण अनुसार, मवासी की मृत्यु का नामांतकरण संख्या 117 दिनांक 21.01.1983 में दर्ज हुआ है। इस प्रकार अपीलाण्ट/प्रार्थी विवादित भूमि पर सन् 1983 से काबिज होनी चाहिए। परन्तु स्वयं अपीलाण्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 11.07.2014 से करीब 01 माह पूर्व जब वह अपनी फसल की व्यवस्था करने आई; तब उन्हें रैस्पो0 से धमकी मिली। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि अपीलाण्ट के भाईयों ने पटवारी हल्का से साज करके नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे की पुष्टि अथवा खण्डन बाबत् कथन कर सकने वाले पक्षकारान को अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं जोडा है। अतः वर्ष 1983 में नामान्तकरण दर्ज होने से, वाद तैयारी तक विवादित भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अपीलाण्ट के अधिकार मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य विवेचना से ही तय हो सकते हैं। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट का पक्ष पुष्ट नहीं है। एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध सरसरी तौर पर स्थगन आदेश पारित करना वांछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का हम कोई स्थान नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर का निर्णय दिनांक 02.06.2015 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official